न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 54/2022 बउनवानी संतोष कुमार अग्रवाल बनाम लो.सू.अधि.एवं कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर निवासी मु.पो. वजीरपुर तहसील वजीरपुर

GCMS No-2022/ 104

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
29.7.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 25.5..2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:– 1. शांति देवी पत्नि प्रहलाद दास स्वामी नई अनाजमण्डी के पास गंगापुर सिटी की सम्पूर्ण पेंशन पत्रावली कमांक 8820 की प्रमाणित प्रतिलिपि देने की कृपा करें। प्रहलाद दास स्वामी की सर्विस बुक की सम्पूर्ण पत्रावली देने की कृपा करे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांक/534 दिनांक 15.7.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना (शांति देवी पत्नि प्रहलाद दास स्वामी नई अनाजमण्डी के पास गंगापुर सिटी की सम्पूर्ण पेंशन पत्रावली कमांक 8820) की प्रमाणित प्रति कोषाधिकारी के पत्रांक 177 दिनांक 12.7.2022 द्वारा अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है तथा प्रहलाद दास की सर्विस बुक से संबंधित सूचना कोषालय से संबंधित नही होने के कारण उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है।इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 25.5.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना (शांति देवी पत्नि प्रहलाद दास स्वामी नई अनाजमण्डी के पास गंगापुर सिटी की सम्पूर्ण पेंशन पत्रावली कमांक 8820) की प्रमाणित प्रति कोषाधिकारी के पत्रांक 177 दिनांक 12.7.2022 द्वारा अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है तथा सर्विस बुक कोषालय मे उपलब्ध नही से सर्विस बुक की सूचना दिया जाना सम्भव नही होने बाबत अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। चूंकि वांछित सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम [illegible] अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.03.17 17:29:41 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर